62 न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1628–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–2–2015 – पारित व्दारा – राजस्व निरीक्षक, वृत्त रीवा गिर्द तहसील हुजूर जिला रीवा – प्रकरण क्रमांक 75 अ–12/2014–15

1– श्रीमती सोमवती पटैल पत्नि केमला प्रसाद पटैल ग्राम बदरांव बडौरा टोला तहसील हुजूर जिला रीवा

2– श्रीमती सुशीला पटैल पत्नि मिथिला पटैल ग्राम डमरी ब्यौहरा तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– म0प्र0पुलिस गृह निर्माण सहकारी समिति 9 वीं बटालियन रीवा व्दारा अध्यक्ष म0प्र0पुलिस गृह निर्माण सह0 समिति 9 वीं बटालियन एस0ए0एफ0 रीवा जिला रीवा

2– म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर जिला रीवा मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

(रिस्पा क्र–1 एंव 2 सूचना उपरांत अनुपस्थित)

आ दे श

(आज दिनांक 07 - 03 –2018 को पारित)

यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त रीवा गिर्द तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 75 अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 26–2–2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अध्यक्ष/सैनानी पुलिस गृह निर्माण सह0 समिति 9 वीं बटालियन , एस0ए0एफ0 रीवा जिला रीवा की ओर से पत्र दिनांक 14-1-2015 लिखकर कलेक्टर रीवा से मांग की गई कि पुलिस गृह निर्माण सहमति समिति 9 वीं वाहिनी रीवा के गृह निर्माण की आराजी क्रमांक 524/1, 524/2, 525/1, 525/2,ग्राम बदरवा (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि संबेाधित किया गया है) का सीमांकन करवाया जाय। अधीक्षक भू अभिलेख कलेक्टर कार्यालय रीवा ने पत्र दिनांक 12-2-15 लिखकर तहसीलदार हुजूर/ राजस्व निरीक्षक गिर्द को सीमांकन के निर्देश दिये। सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के नेतृत्व में सीमांकन दल गठित किया गया तथा सरहदी कास्तकारों को सूचना देते हुये दिनांक 20-1-15 को मौके पर जाकर ई0टी0एस0 मशीन के माध्यम से सीमांकन कार्य किया गया जाकर सीमांकन दल ने सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सीमांकन के दौरान आवेदकगण व्दारा आपत्ति प्रस्तुत की, जिसका सीमांकन दल ने मौके पर निराकरण कर आपत्ति खारिज की गई। तदुपरांत राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण क्रमांक 75 अ-12/2014-15 में आदेश दिनांक 26-2-2015 पारित किया तथा सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि म0प्र0पुलिस गृह निर्माण सहकारी समिति 9 वीं बटालियन रीवा ने भूमिस्वामी ज्ञानेन्द्र कुमार सोंधिया एंव सुनील कुमार सोंधिया के पिता रामभान वर्मा से जर्य पॅजीकृत विक्रय पत्र क्रय की है। इसी भूमि का सीमांकन गठित समिति ने किया है जो विधि सम्यक नहीं है क्योंकि सीमांकन के नियम एंव प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है भूमि के उत्तर दिशा में निगरानीकर्ताओं की भूमि खसरा क्रमांक 530, 531, 532 है एंव सीमांकन किये जाते समय अनियमित तरीके से सीमांकन किये जाने के कारण लगभग 50 से 60 डि0 भूमि आवेदकगण की म0प्र0पुलिस गृह निर्माण सहकारी समिति 9 वीं बटालियन रीवा की तरफ नाप दी गई। इसलिये सीमांकन निरस्त किया जाय एंव पूर्व से चले आ रहे कब्जे के मान से भूमि यथावत् रखी जाय।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में राजस्व निरीक्षक, वृत्त रीवा गिर्द तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 75 अ-12/2014-15 में आये तथ्यों से यह निर्विवाद है कि आराजी क्रमांक 524/1, 524/2, 525/1, 525/2 स्थित ग्राम बदरवा पुलिस गृह निर्माण सहमति समिति 9 वीं वाहिनी रीवा के गृह निर्माण हेतु क्रय की गई भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है जिसके सीमांकन के वह अधिकारी हैं। राजस्व निरीक्षक के आदेश दिनांक 26-2-15 में आये तथ्यों से स्पष्ट है कि सीमांकन के समय आवेदकगण ने उपस्थित होकर सीमांकन पर आपत्ति की है एंव आपत्ति आवेदन पर उन्हें सुनकर सीमांकन किया गया है तथा उनके व्दारा प्रस्तुत आपत्ति निराधार मानकर निरस्त की गई है। अतः यह नहीं माना जा सकता है कि आपत्तिकर्ता (आवेदकगण) को सुना नहीं गया है । जहां तक किये गये सीमांकन से आपत्तिकर्ता की भूमि प्रभावित होना माने जाने का प्रश्न है एंव वह सीमांकन से सन्तुष्ट नहीं है तब वह स्वय् की भूमि का वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख से सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण राजस्व निरीक्षक व्दारा पारित सीमांकन आदेश दिनॉक 26-2-2015 में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। फलतः राजस्व निरीक्षक, वृत्त रीवा गिर्द तहसील हुजूर जिला रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 75 अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 26-2-2015 यथावत् रहता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर